

Rafik Ansari

19-2017/18

अनूसूची 14 फारम संख्या 562

आदेश पत्रक
(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम)

आदेश पत्रक-ता०..... से..... तक.....
जिला-पलामू..... से..... सन..... वाद
का प्रकार-बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4 (h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

आदेश की क्र०स० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

12.6.24

झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 एवं अपर समाहर्ता, पलामू के पत्रांक 997/रा०, दिनांक 31.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी से संबंधित अभिलेख खोलकर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। हल्का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित भूमि की विवरणी।

मौजा..... ६२३०१..... थाना न०..... 560..... खाता संख्या..... 60.....

प्लॉट संख्या..... 176..... रकबा..... 75..... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद झारखण्ड सरकार की खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०..... के पृष्ठ संख्या..... पर

जमाबंदी रैयत..... 2 श्रीक आंगरे प्रिया हनुवती अंगरी के नाम से कायम है।

संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत करें एवं अभिलेख दिनांक 17/06/24

उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
पाण्डू पलामू।

की क्र०
सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे
टिपणी तारीख स


01

02

03

19/06/24

अभिलेख उपलब्ध नोड नमिल कराया गया -
पावट भाग में नमिल प्रविष्टि प्राप्ति और
रमिक अंदाजे पिना अल रदीम अंदाजे प्राप्ति -
हलका भाग पावट पिना पलायन हाप कोड
कागजात मुक्ति से संबंधित प्रमाण किया गया -
उक्त मुक्ति का राजस्व उप नि पक्ष एवं है
जो-य प्रविष्टि का मांग करे।
अभिलेख दिनांक 24.6.24 को रखे।

अंगन 
पावट

24/06/24

अभिलेख उपलब्ध राजस्व उप नि पक्ष
अंगन नि पक्ष से प्रविष्टि प्राप्ति
प्रविष्टि में प्रविष्टि किया गया है कि मोल
हलका के खाता नं० 80 लोड नं० 176
रकम 0.75 एकड़ मुक्ति से संबंधित कार्यका
में उपलब्ध मांग पंक्ति II से मिलान
किया एवं अंगन अभिलेख के साथ रखल
गिरीतों किया जो पाया कि अंगन खर्च
वसूली अनुवाद को नाला में पड़े

मौजा रुहता के खान 4060 चौद 176
 फुल रकवा - 25.00 एकड़ किछा जंगल -
 माड़ी गेलाप रुहा मालिक है
 अं बंधन - मनिवेन दिया गया है मनिवेन -
 खिलान - 342 खान 30 फीसक
 अं पल मीसक के मनिवेन के
 आलोक में आवेला जामा बंधी को वद
 करने को अनुबंध किया जाना है।
 आभिलेख - मी - सुधा 342 माह
 4060 मोदिनीना 4 पला 4 को - गेला -

लैवामिन एवं खंडोधि

अं पल 342 माह
 4060

अं पल 342 माह
 4060



कार्यालय अंचल अधिकारी, पाण्डू (पलामू)।

नोटिस पत्रांक.....121...../दिनांक...12.16.2024

वाद अभिलेख संख्या 19/2017-18 (अर्न्तगत धारा -4(h) BLR Act 1950)

प्रेषित

श्री रफिक अंसारी
पिता - असरुदीन अंसारी
ग्राम- दरुवा
थाना- पाण्डू, पलामू।

विषय :- भूमि संबंधी कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

चूं बजरिय इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मौजा दरुवा थाना नं० 560 खाता सं० 60, प्लॉट सं० 176 कुल रक्वा 75 डी० किस्म जंगल झाडी, गैरमजरुवा मालिक दर्ज है। प्रथम दृष्ट्या राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक से माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदन किया गया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 19.16.24 को समय 12.00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में उक्त भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीनदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीदों, फॉर्म-एम एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व भूमि पर दावे की पृष्टि करता है, भूमि संबंधित सभी राजस्व कागजात साथ स्वयं अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर सामुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुसंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद समझें।



12.16.24
अंचल अधिकारी,
पाण्डू पलामू।